

कार्यालय – जिला कार्यक्रम अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक

/ जि०का०अधि० / बा०वि०परि० / विज्ञप्ति / 2026-27

दिनांक 24/07/2026

विज्ञप्ति

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बुलन्दशहर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका की मानदेय पर आधारित पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है:-

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री						आंगनबाड़ी सहायिका			
क्रम सं०	परियोजना का नाम	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित	कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अगौता	12	5	5	2	9	3	4	2
2	अनूपशहर	21	10	6	5	25	9	8	8
3	अरनिया	8	5	2	1	25	12	7	6
4	बी०बी० नगर	11	7	1	3	13	8	2	3
5	बुलन्दशहर	54	21	12	21	130	64	25	41
6	दानपुर	4	2	0	2	7	2	1	4
7	डिबाई	15	10	2	3	20	13	3	4
8	गुलावठी	14	6	4	4	29	19	4	6
9	जहांगीराबाद	12	2	5	5	18	9	5	4
10	खुर्जा	24	8	8	8	49	18	15	16
11	लखावटी	7	4	3	0	6	5	1	0
12	पहासू	15	11	0	4	25	11	5	9
13	शिकारपुर	18	11	3	4	20	9	8	3
14	सिकन्द्राबाद	25	7	9	9	32	9	15	8
15	स्याना	6	4	1	1	9	4	3	2
16	ऊँचागँव	9	7	2	0	6	3	2	1
	कुल योग:-	255	120	63	72	423	198	108	117

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर, विकास भवन, जिला कार्यक्रम कार्यालय, तहसील, नगर पालिका/नगर पंचायत विकास खण्ड, एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है साथ ही आंगनवाड़ी भर्ती पोर्टल <https://upanganwadibharti.in/> पद पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आवेदक यदि चाहें तो रिक्ति सम्बन्धी जानकारी हेतु कार्यदिवस के दिन सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम कार्यालय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

— : विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :—

- 1 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन के लिये पात्र होंगे।
- 2 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर चयन की समस्त कार्यवाही बाल विकास विभाग एवं पुष्ठाहार, उ०प्र० के शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित प्रक्रिया के अधीन होगी। उपरोक्त शासनादेश को उ०प्र० शासनादेश की अधिकारिक वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।
- 3 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट निर्धारित है एवं मेरिट इण्टरमीडिएट से लेकर परास्नातक तक के प्राप्तांक/पूर्णांक के प्रतिशत पर तैयार की जायेगी।
- 4 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जुलाई, 2026 से की जायेगी। अभ्यर्थी के जन्मतिथि के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- 5 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन हेतु उसी ग्राम समा तथा शहरी क्षेत्र हेतु उसी वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है।
- 6 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर विधवा अभ्यर्थी हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- 7 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होगा।
- 8- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आय के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3959/1-9-11-राज-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के कम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण ही मान्य होंगे जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो। समाज कल्याण अनुभाग-2 उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- 9-रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका आनलाईन सत्यापन सम्भव हों।
- 10 रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित निवास प्रमाण पत्र का आनलाईन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 11- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित आय प्रमाण पत्र का आनलाईन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को गरीबी रेखा से उपर का अभ्यर्थी मानते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

- 12- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र में अंकित जाति प्रमाण पत्र का आनलाईन सत्यापन में निर्गत हुआ नहीं पाया जाता है तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का मानते हुए नियमानुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।
- 13- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की सूची की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनवाड़ी सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। हाईस्कूल के अंकों को मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 14- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वही उसका अंक माना जायेगा अर्थात् यदि किसी अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे $45/10 = 4.5$ अंक प्राप्त होंगे, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे $59/10 = 5.9$ अंक प्राप्त होंगे।
- 15- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी आगणित किये जायेंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के तीन अंकों तक गणना की जायेगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जायेगा।
- 16- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ और पठनीय हो अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख आनलाईन फार्म में किया गया है।
- 17- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र आफलाईन या डाक द्वारा प्रेषित किये जाने पर मान्य नहीं होंगे।
- 18- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर यदि आवेदन में प्रविष्ट कोई भी विवरण या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित या प्रविष्ट आवेदन से अलग पाये जायेंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 19- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के विज्ञापित पदों हेतु पर आन लाईन आवेदन हेतु अन्तिम तिथि दिनांक 14.08.2026 को मध्यरात्रि 12:00 बजे तक होगी।
- 20- रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के पद पर चयन प्रक्रिया पूर्णतया पोर्टल से आनलाईन माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशानुसार सम्पादित होगी। इसके लिये किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- 21- आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका के वर्तमान चयन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उपरोक्त रिक्त पदों के चयन में ई०डब्ल्यू०एस० श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का आरक्षण नहीं दिया गया है। अतः इसका लाभ नहीं दिया जायेगा।

22- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जो वेबसाइट पर प्रदर्शित होगी।

आवेदक द्वारा आन लाईन आवेदन करते समय निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान दिया जाय -

1. रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर समस्त प्रक्रिया आन-लाईन पोर्टल <https://upanganwadibharti.in/> पद से होनी है। कोई भी आवेदन किसी भी स्तर पर हार्ड कॉपी में नहीं प्राप्त किया जाना है।
- 2 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद पर आनलाईन आवेदन करते प्रमाण पत्रों क्रमांक व शैक्षणिक अंकों, आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र के आवेदन क्रमांक, पंजीकरण क्रमांक, निर्गत तिथि आदि का पोर्टल द्वारा ही आन लाईन सत्यापन किया जायेगा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की गलत प्रविष्टि होने पर अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
- 3 - रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका के पद की चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल पर आनलाईन प्राप्त आवेदनों के आधार पर चयन शासनादेश में उल्लिखित मेरिट प्रक्रिया एवं दी गयी वरीयता के आधार पर विभागीय पोर्टल से ही होनी है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार के दलालों के प्रलोभन व लालच में न पड़ें व ऐसा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।

भवदीय

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बुलन्दशहर

पृष्ठांकन सं० सी०-672 / तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

- 1- निदेशक, महोदया बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ०प्र० लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, महोदया बुलन्दशहर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, महोदया बुलन्दशहर।
- 4- समस्त उपजिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 5- समस्त सदस्यगण चयन समिति, बुलन्दशहर।
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित हैं कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 7- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित ग्रामसभा/वार्ड के रिक्त पदों की जानकारी ग्राम प्रधान/सभासद को देना सुनिश्चित करे।
- 8- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित हैं कि उक्त विज्ञापन/विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरो पर दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बुलन्दशहर